

Government of Uttarakhand

₹100

e-Stamp

: IN-UK06332724016922U

: 08-Sep-2022 11:48 AM

: NONACC (SV)/ uk1279804/ HARIDWAR/ UK-HD

: SUBIN-UKUK127980417913695505057U

: OMEGA PRINTOPACK PVT LTD

: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement

: na

: 0
(Zero)

: SHEETAL ENTERPRISES

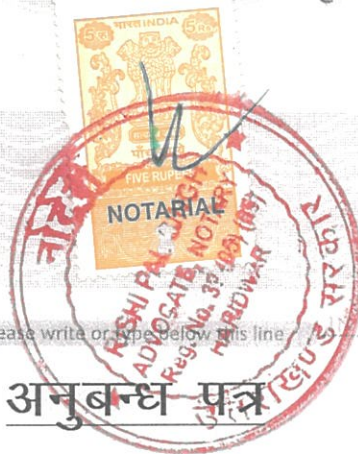
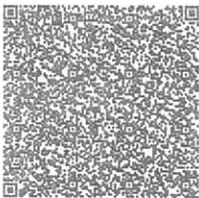
: OMEGA PRINTOPACK PVT LTD

: OMEGA PRINTOPACK PVT LTD

: 100
(One Hundred only)

1195
09/09/22

दीपक अग्रवाल
स्टाम्प दिनांक 23/8/2016



Please write or type below this line

अनुबन्ध पत्र

हम कि मैसर्स शीतल इन्टरप्राइज पैन नं. ACGFS2111Q प्लॉट नं. 112 सेक्टर 6A I.I.E., सिडकुल हरिद्वार-249403 पाटर्नर श्री वीरेन्द्र यादव पैन नं. AAPY6407D आधार नं. 359525629895 पुत्र श्री जगमल सिंह यादव, निवासी ए-1/120 2nd Floor, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली-110063

प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स ओमेगा प्रिन्टोपैक प्रा० लि० पै नं. AAACO8600M प्लाट नं. 133, 134, 135 सेक्टर 6A
J.I.E. सिडकुल हरिद्वार-249403 डायरेक्टर श्री संदीप कुमार जैन पै नं. AEVPJ8828G आधार

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.
- Pravin*

App of Stock Holding.

[illegible]

नं 716157681148 पुत्र श्री भोपाल सिंह जैन निवासी 360, विवेक विहार कॉलोनी, रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

 द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष की एक प्लॉट नं0-112 सैक्टर - 6ए पर बनी फैक्ट्री जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर (28.34 गुणा 38.11) है जो स्थित सिडकुल रोशनाबाद हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार है। जिसका प्रथम पक्ष मालिक स्वामी व अधिकारी काबिज चला आता है तथा प्रथम पक्ष के पास सिडकुल हरिद्वार से उक्त प्लॉट का लाईसेन्स अनुमति भी है। द्वितीय पक्ष उक्त फैक्ट्री को क्रय कर रहा है

जिसकी निम्नलिखित शर्तें तय की गयी हैं :-

1 यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त फैक्ट्री भूमि व निर्माण सहित प्लॉट द्वितीय पक्ष को मुब0 1,50,00,000 /- (एक करोड़ पचास लाख रुपये) में विक्रय करना तय किया है जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय करना स्वीकार कर लिया गया है।

2 यह कि द्वितीय पक्ष दिनांक 15.10.2022 (2 महीने तक या उससे पहले) धनराशि मुब0 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख रुपये) का भुगतान प्रथम पक्ष को कर देगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा उक्त फैक्ट्री/प्लॉट की रजिस्ट्री द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा बताये गये व्यक्ति/कम्पनी/फर्म के नाम पर कर दी जायेगी।

3 यह कि उक्त फैक्ट्री/प्लॉट अपने नाम कराने के लिए यदि सिडकुल प्रशासन से कोई अनुमति लेनी पड़ेगी या कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

4. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को दिनांक 02.09.2022 को ऑनलाईन ट्रांसफर के द्वारा 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) का भुगतान कर दिया है।

4. यह है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी देय बकाया निकलता है तो उसका भुगतान प्रथम पक्ष के द्वारा ही किया जायेगा।

5. यह कि रजिस्ट्री/बैनामा आदि में जो व्यय होगा वह द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा।

अतः यह अनुबन्ध लिख दिया गया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये

दिनांक

साक्षी-1

साक्षी-2

ATTESTED


RISHI PAL SINGH
ADVOCATE & JUDGE
Reg. No. 39 (15) (05)
HARIWAR

09/09/22


प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

